न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 51/2016 – निगरानी

1. श्री हेमराज आत्मज चतरू बलाई निवासी टूंगच तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

बनाम

1. श्री मोवन आत्मज खेमा बलाई निवासी टूगंच
2. श्रीमती पारसीदेवी पत्नी मुरलीदास बैरागी निवासी टूगंच
3. ग्राम पंचायत खाखरमाला जरिये सचिव ग्राम पंचायत खाखरमाला पंचायत समिति रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत खाखरमाला पं.सं. रायपुर जिला भीलवाडा पटटा सं. 1421 प्रस्ताव सं. 74 दिनांकित 11.12.1999 निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम

उपस्थितिः–

1. श्री सुनिल कुमार जैन अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री मांगीलाल सेन अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 01की ओर से
3. श्री राकेश सुराना अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 2 की ओर से
4. श्री हरीश टेलर अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 0 की ओर से

निर्णय

दिनांक 28.02.2017

निगराकार की ओर से यह निगरानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत गैर निगराकारान के विरूद्व दिनांक 12.05.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत खाखरमाला वर्ष 1999 की सरपंच श्रीमती अलोल देवी ने अपने सरपंच पद पर रहते हुए पद का दुरूपयोग करते हुए दिनांक 11.12.1999 एवं 18.12.1999 को कई व्यक्तियों को क्रमांक 1403 से 1456 तक कूटरचित पटटे विलेख जारी किये जिसमें गैर निगराकार सं. 01 का फर्जी पटटा विलेख सं. 1421 भी शामिल है । जिसके संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाडा ने ग्राम पंचायत खाखरमाला का दिनांक 29.05.2002 को आकस्मिक निरीक्षण किया जिसमें उक्त कूटरचित पटटे जिसमें प्रस्ताव सं. एवं दिनांक जिससे पटटा स्वीकृत किया गया , बैठक कार्यवाही रजिस्टर में उक्त दिनांक

को या तो बैठक ही सम्पन्न नहीं हुई है और प्रस्ताव सं. जो लिखा है , उपलब्ध नहीं पाया गया व प्रारम्भिक पटटों में प्रस्ताव सं. 1999 में लिखा गया व बाद वाले पटटों में 1996 लिखा गया जो संदेहास्पद पाया गया व उक्त सरपंच श्रीमती अलोल देवी के विरूद्व उक्त कूटरचित फर्जी पटटे जारी करने का आरोप प्रमाणित पाये जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर के यहां पत्रावली भेजी गयी जिस पर आदेश क्रमांक प–3/कोर्ट–124/ 2002/ सरपंच/जाँच /भीलवाडा/3009/आदेश दिनांक 02.07.2004 के तहत आदेश पारित किया गया जिसमें अंकित किया गया कि " अभिलेख का अवलोकन किया गया" पूर्व सरपंच के विरूद्व नियम विरूद्व तरीके से 1456 पटटे स्वीकृत करने क आरोप है । विस्तृत जाँच में जाँच अधिकारी ने यह आरोप पूर्व सरपंच के विरूद्व प्रमाणित मानकर निष्कर्ष दिया कि पूर्व सरपंच ने पंचायत की बैठक में बिना प्रस्ताव पारित कराये ही पटटे जारी किये व उक्त सरपंच के विरूद्व धारा 38(1) राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई । तत्कालीन सरपंच श्रीमती अलोल देवी ने गैर निगराकार सं. 01 को भूखण्ड नपती 60 बाई 30 फीट का कूटरचित पटटा सं. 1421 दिनांकित 11.12.1999 जारी किया गया वह बिना पंचायतीराज नियमों का पालन किये बनाया गया जिसका नक्शा भी काटफांस होकर दिशा संकेत का भी उसमें अंकन नहीं है तथा सम्भागीय आयुक्त महोदय व मुख्य कार्यकारी अधिकारी का जाँच रिपोर्ट के अनुसार भी उक्त पटटा विलेख कूटरचित तैयार किया जाना स्पष्ट है । गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में तथाकथित कूटरचित जारी पटटे की जाँच में उक्त पटटा विलेख फर्जी पाये जाने के बावजूद भी गैर निगराकार सं. 01 ने गैर निगराकार सं. 02 से मिलीभगत कर उक्त पटटे के आधार पर अवैध विक्रय पत्र गैर निगराकार सं. 02 के पक्ष में दिनांक 11.05.2015 को उप पंजियक रायपुर के यहां पंजियन करवा दिया । उक्त विक्रयपत्र के पड़ौस पूर्व में किशनलाल तेली, पश्चिम में विक्रेता, उत्तर में विक्रेता व दक्षिण में सड़क बताई गई है, जबकि पटटे में जो पडौस अंकित कर रखे है वह पडौस भी विक्रय पत्र से मिलान नहीं होते है व साथ ही उसमें एक तरफ आराजी किशना, एक तरफ रास्ता, एक तरफ पड़त सरकारी व एक तरफ कब्जा धन्ना अंकित है, जिससे भी उक्त विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य होकर निष्प्रभावी है । गैर निगराकार सं. 01 ने गैर निगराकार सं. 02 के पक्ष में कूटरचित फर्जी पटटा विलेख सं. 1421 के आधार पर अवैधानिक विक्रय पत्र उप पंजियक रायपुर के समक्ष पंजियन कराया है जिसमें पटवारी हल्का टूगंच की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जिसमें भूमि आराजी सं. 1762/985 रकबा 3.27 है0 किस्म

गे0मु0 आबादी ग्राम पंचायत खाखरमाला के नाम दर्ज अभिलेख होना बताया है । तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत खाखरमाला द्वारा गैर निगराकार सं. 01 को पटटा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 142 से 158 के प्रावधानों की पालना नहीं की है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य है । अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में तथाकथित जारी कूटरचित पटटा विलेख सं. 1421 दिनांक 11.12.1999 को निरस्त फरमाया जावे । साथ ही गैर निगराकार सं. 01 द्वारा उक्त अवैधानिक कूटरचित पटटा विलेख के आधार पर गैर निगराकार सं. 02 के पक्ष में निष्पादित अवैधानिक विक्रय पत्र कानून की दृष्टि में प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी होने से गैर निगराकार सं. 02 को उसका दुरूपयोग नहीं करने से पाबन्द कराया जावे व साथ ही गैर निगराकार सं. 01 व 02 द्वारा सरकारी भूमि को हड़पने व खुर्द–बुर्द करने का ऐसा उक्त प्रयास किया गया जिसके संबंध में अलग से आपराधिक मुकदमा दर्ज करा, कानूनी कार्यवाही करायी जाकर दण्डित कराया जाने का आदेश भी फरमाया जावे ।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 12.03.2016 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया ।

गैर निगराकारान 01 की ओर से निगराकार की निगरानी के खण्डन में दिनांक 14.09.2016 को जवाब प्रस्तुत किया गया । प्रस्तुत जवाब में कहा गया कि विपक्षी सं. 01 जवाबदार मोवन द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत खाखरमाला द्वारा विधिवत रूप से प्रस्ताव लेकर दिनांक 14.12.99 को विधिवत रूप से जारी किया गया है जो सही है । विपक्षी सं. 01 के नाम पर ग्राम पंचायत खाखरमाला द्वारा भूखण्ड नपती 70 बाई 40 फीट है, जिसका पटटा दिनांक 11.12.1999 को जारी किया गया जो विधिवत होकर सही है । प्रार्थी निगराकार द्वारा यह तथ्य गलत अंकन किया है कि संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जाँच रिपोर्ट से आवेदन उक्त पटटा विलेख कूटरचित तैयार किया जाना निराधार है , यह तथ्य बिल्कुल ही गलत व निराधार है । निगरानी के कॉलम सं. 04 गलत होकर अस्वीकार है, कि उक्त पटटा के आधार पर विपक्षी सं. 1 ने उक्त पटटा में भूखण्ड में से 40 बाई 40 कुल 1600 वर्ग फीट भूमि का विक्रय श्रीमती पारस देवी पत्नी मुरलीदास बैरागी निवासी टूगंच से दिनांक 11.05. 2015 को किया जाकर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया। तभी से विपक्षीगण सं. 02 श्रीमती

पारस देवी पत्नी मुरलीदास बैरागी काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है । तथाकथित भूखण्ड का ग्राम पंचायत खाखरमाला ने विधिवत रूप से विपक्षी सं. 02 श्रीमती पारसदेवी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के भूखण्ड साईज 40 बाई 40 फीट है को दिनांक 11.05.2015 को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया, जिस पर श्रीमती पारसदेवी द्वारा आवासीय मकान का निर्माण किया गया । विपक्षी सं. 01 के नाम पर ग्राम पंचायत द्वारा पटटा विधिवत रूप से जारी किया गया । भूखण्ड की साईज 70 बाई 40 था , उसमें से 40 बाई 40 का भूखण्ड तो विपक्षी सं. 02 को श्रीमती पारस देवी को विक्रय कर दी । शेष भूखण्ड 30 बाई 40 पर विपक्षी जवाबदार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है । विपक्षी द्वारा गलत तथ्यों को आधार बनाकर निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है जो खारिज होने लायक है । अतः प्रार्थना है कि विपक्षी सं. 1 का जवाब रिकार्ड पर लिया जाकर आवेदन निगरानी खारिज की जावे ।

प्रस्तुत निगरानी में निगराकार , गैर निगराकार अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी ।

निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रस्तुत निगरानी के बिन्दु सं. 1 से लगायत 11 के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर विवादित आदेश दिनांक 11.12.1999 को अपास्त किया जावे । तत्कालीन सरपंच श्रीमती अलोल देवी ने गैर निगराकार सं. 01 को भूखण्ड नपती 60 बाई 30 फीट का कूटरचित पटटा सं. 1421 दिनांकित 11.12.1999 जारी किया गया । वह बिना पंचायतीराज नियमों का पालन किये बनाया गया । जिसका नक्शा भी काटफांस होकर दिशा संकेत का भी उसमें अंकन नहीं है तथा सम्भागीय आयुक्त महोदय व मुख्य कार्यकारी अधिकारी का जाँच रिपोर्ट के अनुसार भी उक्त पटटा विलेख कूटरचित तैयार किया जाना स्पष्ट है । गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में तथाकथित कूटरचित जारी पटटे की जाँच में उक्त पटटा विलेख फर्जी पाये जाने के बावजूद भी गैर निगराकार सं. 01 ने गैर निगराकार सं. 02 से मिलीभगत कर उक्त पटटे के आधार पर अवैध विक्रय पत्र गैर निगराकार सं. 02 के पक्ष में दिनांक 11.05.2015 को उप पंजीयक रायपुर के यहां पंजीयन करवा दिया । गैर निगराकार सं. 01 ने गैर निगराकार सं. 02 के पक्ष में कूटरचित फर्जी पटटा विलेख सं. 1421 के आधार पर अवैधानिक विक्रय पत्र उप पंजीयक रायपुर के समक्ष पंजीयन कराया है जिसमें पटवारी हल्का टूंगच की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई । जिसमें भूमि आराजी सं. 1762/985 रकबा 3.27 है0

किस्म गै0मु0 आबादी ग्राम पंचायत खाखरमाला के नाम दर्ज अभिलेख होना बताया है । तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत खाखरमाला द्वारा गैर निगराकार सं. 01 को पटटा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 142 से 158 के प्रावधानों की पालना नहीं की है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य है ।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । ग्राम टूंगच ग्राम पंचायत खाखरमाला पंचायत समिति रायपुर द्वारा जारी पटटा सं. 1421 के प्रस्ताव सं. 74 दिनांक 11.12.1999 के संबंध में पत्रावली के परीक्षण से यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर में उक्त प्रस्ताव संख्या 74 पारित होना नहीं पाया जाना न्यायालय सम्भागीय आयुक्त अजमेर के आदेश कमांक प–3/कोर्ट–124/2002/3009 आदेश दिनांक 02.07.2004 में बताया है । पटटा विलेख सं. 1421 के आधार पर विक्रय पत्र गैर निगराकार सं. 01 द्वारा गैर निगराकार सं. 02 के पक्ष में पंजीयन करवाया । उप पंजीयक रायपुर के समक्ष पटवारी हल्का टूंगच की रिपोर्ट प्रस्तुत हुयी जिसमें मौके के अनुसार गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी पटटे की भूमि आराजी सं. 1762/985 रकबा 3.27 हैक्ट. किस्म गै.मु. आबादी में होना बताया गया। आ.नं. 1762/985 बिलानाम दर्ज थी जिसमें से नामान्तरकरण सं. 138 दिनांक 11.01.2011 के जरिये आ.नं. 1762/985 क्षैत्रफल 3.27 हैक्ट. आबादी ग्राम पंचायत खाखरमाला के नाम दर्ज हुयी, जबकि सरपंच ग्राम पंचायत खाखरमाला ने आ.नं. 1762/985 के बिलानाम दर्ज होते हुये गैर निगराकार सं. 01 के नाम पटटा जारी कर दिया जो विधि विरूद्व है ।

इस प्रकार ग्राम टूंगच तहसील रायपुर की भूमि ग्राम पंचायत खाखरमाला के नाम जरिये नामान्तरकरण सं. 138 दिनांक 11.01.2011 को दर्ज हुयी, जबकि उक्त पटटा दिनांक 11.12.1999 में जारी किया गया । उस वक्त प्रश्नगत भूमि ग्राम पंचायत के नाम दर्ज नहीं होकर बिलानाम सरकारी भूमि थी । सरकारी भूमि में ग्राम पंचायत खाखरमाला को दिनांक 11.12.1999 को पटटा सं. 1421 जारी करने का कोई अधिकार नहीं था । बिना अधिकारिता के ग्राम पंचायत खाखरमाला द्वारा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में दिनांक 11.12.1999 को जारी किया गया पटटा प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य है । उक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम स्वीकार योग्य ठहरती है । अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत खाखरमाला बमामले पटटा सं. 1421 दिनांक 11.12.1999 के संबंध में ग्राम टूंगच तहसील रायपुर की भूमि ग्राम पंचायत खाखरमाला के नाम जरिये नामान्तरकरण सं. 138 दिनांक 11.01.2011 को दर्ज हुयी, जबकि उक्त पट्टा दिनांक 11.12.1999 में जारी किया गया । उस वक्त प्रश्नगत भूमि ग्राम पंचायत के नाम दर्ज नहीं होकर बिलानाम सरकारी भूमि थी । सरकारी भूमि में ग्राम पंचायत खाखरमाला को दिनांक 11.12.1999 को पटटा सं. 1421 जारी करने का कोई अधिकार नहीं था । बिना अधिकारिता के ग्राम पंचायत खाखरमाला द्वारा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में दिनांक 11.12.1999 को जारी किया गया पटटा प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य होने से निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाती है एवं पटटा सं. 1421 दिनांक 11.12.1999 को निरस्त किया जाता है । तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति के अधीनस्थ ग्राम पंचायत को पालनार्थ लौटाया जावे । आदेश की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.2.17

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)